

राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर एवं नार्कोटिक्स अकादमी भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग नासिन कॉम्पलैक्स, सैक्टर–29, फरीदाबाद–121008

NATIONAL ACADEMY OF CUSTOMS, INDIRECT TAXES & NARCOTICS

Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue NACIN Complex, Sector-29, Faridabad-121008

फोन /Telephone : 0129-2504652-54

फैक्स / Fax : 0129-2504632

F.No. II(11)34/2017- NACIN

Date: 09.11.2017

Subject: Two days Course on "Export Promotion Scheme-Pre & Post GST Era" for officers of the rank of Assistant/Deputy/Joint/Additional Commissioners/Commissioners & above of CBEC on 7th & 8th December, 2017 – reg.

National Academy of Customs, Indirect Taxes and Narcotics, Faridabad in coordination with its Zonal Training Unit, Chandigarh is organizing two days **course** on **"Export Promotion Scheme-Pre & Post GST Era"** on 7th & 8th December, 2017 for officers of the ranks of Assistant/Deputy/Joint/ Additional Commissioners & Commissioners of Customs & Central Taxes.

- 2. It is therefore requested that suitable officers of the rank of Assistant/Deputy/Joint/Additional Commissioners & Commissioners may be nominated for participating in the above course.
- 3. Nominations may please be sent by FAX/Speed post/e-mail to Shri Manoj Lakra, Assistant Director, NACIN, Faridabad and should reach this office by 1st December, 2017 (Telephone No. 0129-2504649 Fax No. 0129-2504632, E-mail: adist.nacen@gov.in). The telephone/mobile numbers and e-mail address (in capital letters) of the nominated officers may also be indicated in the nomination letters so as to facilitate ease of contact/communication.
- 4. It may kindly be ensured that once nominated, the officer reports for attending to the training course as last minute cancellation/withdrawal results in considerable administrative and financial issues.
- 5. It may be mentioned that limited hostel facilities are available for the participants, who wish to stay in campus. For the participants, the hostel and mess charges (all inclusive) shall be approximately Rs. 650/- per day. This includes Rs. 100/- room rent, Rs. 100/- Breakfast + bed tea, Rs. 200/- for dinner and Rs. 250/- for lunch and tea/snacks (twice a day), which is to be paid separately at the time of registration. Request for stay at campus in hostel may be sent directly to the Joint Director (Admn.), NACIN, at e-mail id: nacengangotri@gmail.com.
- 6. In case participants are desirous of staying in a nearby hotel, the available options are Hotel Goldfinch (Phone No. 9560795251), Hotel Vibe By The Lalit Traveller(Phone No. 0129-4290000) & K Hotel, Sector 31, Faridabad (Phone No. 0129-4292777 Ext-101, 8527999752, 8527999757). Participants can contact them on above number for accommodation.

Condt ... 2

7. The nominated officers may please be directed to report to the Academy at Sector 29, Near Police Lines, Faridabad on **07-12-2017** at 9.30 a.m. positively for attending the training course. Nearest Metro Station is Sector-28 on the **Violet Line**. As the valedictory function on **08-12-2017 may continue up to 6.00 p.m.,** the officers may be advised to plan their return journey accordingly.

(Sophia Martin Joy)
Additional Director

To

- 1. The Chief Commissioners of Customs (All)
- 2. The Chief Commissioners of CGST & Central Excise (All)
- 3. The Director General (All Directorates General under CBEC)
- 4. The Chief Departmental Representative, CESTAT, New Delhi
- 5. All Commissioners of Customs
- 6. All Commissioners of CGST & Central Excise
- 7. All Commissioners of Audit Commissionerates
- 8. CBEC & NACIN Website



राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर एवं नार्कोटिक्स अकादमी भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग नासिन कॉम्पलैक्स, सैक्टर-29, फरीदाबाद-121008

NATIONAL ACADEMY OF CUSTOMS, INDIRECT TAXES & NARCOTICS
Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue
NACIN Complex, Sector-29, Faridabad-121008

फोन /Telephone : 0129-2504652-54

फैक्स / Fax : 0129-2504632

फा.सं. II (11)34/2017 -नासिन

दिनांक :09.11.2017

विषयः सीबीआईसी के सहायक/उप/संयुक्त/अपर आयुक्त/आयुक्त एवं ऊपर के रैंक के अधिकारियों हेतु "निर्यात प्रोत्साहन योजना – पूर्व एवं बाद का जीएसटी युग" पर 07 एवं 08 दिसम्बर 2017 को दो दिवसीय पाठ्यक्रम - के संबंध में।

राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर एवं नार्कोटिक्स अकादमी (नासिन), फरीदाबाद आंचिलक प्रशिक्षण इकाई, चंडीगढ़ के सहयोग के साथ सीमा शुल्क एवं केंद्रीय करों के सहायक/उप/संयुक्त/अपर आयुक्त/आयुक्त एवं ऊपर के रैंक के अधिकारियों हेतु "निर्यात प्रोत्साहन योजना – पूर्व एवं बाद का जीएसटी युग" पर 07 एवं 08 दिसम्बर 2017 को दो दिवसीय पाठ्यक्रम का आयोजन कर रहा है।

- 2. यह अनुरोध किया जाता है कि आपके चार्ज के अधीन कार्य कर रहे उपयुक्त अधिकारियों को उपरोक्त पाठ्यक्रम में भाग लेने हेतु नामित किया जाए।
- 3. नामांकन कृपया फैक्स/स्पीड-पोस्ट/ई-मेल द्वारा श्री मनोज लाकरा, सहायक निदेशक, नासिन, फरीदाबाद को दिनांक 01 दिसम्बर, 2017 तक भिजवा दिए जाएँ (दूरभाष सं. 0129 2504649, फैक्स सं. 0129 2504632, ई-मेल adist.nacen@gov.in । नामांकित अधिकारियों के दूरभाष/मोबाइल नम्बर एवम् ई-मेल पते भी नामांकन पत्रों में दिए जाएँ ताकि सुविधानुसार उनसे सम्पर्क/सम्प्रेषण किया जा सके।
- 4. कृपया यह सुनिश्चित किया जाए कि जिस अधिकारी को नामांकित किया जाए वह प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के लिए रिपोर्ट करे, चूँकि अंतिम क्षणों में नामांकनों को रद्द करने/वापस लेने से प्रशासनिक तथा वित्तीय समस्याएँ हो सकती हैं।
- 5. यह भी उल्लेख किया जाता है कि जो प्रतिभागी कैम्पस में ठहरना चाहते हैं उनके लिए सीमित होस्टल सुविधा उपलब्ध है। प्रतिभागियों के लिए, होस्टल एवं मैस प्रभार के लिए (कुल मिलाकर) लगभग 650/-रुपये होंगे। इसमें कमरे का किराया 100/- रुपये, जलपान + सुबह की चाय 100/- रुपये, रात्रिभोज हेतु 200/- रुपये एवं दोपहर के भोजन और चाय/स्नेक्स (दिन में दो बार) हेतु 250/- रुपये शामिल हैं, जिनका भुगतान

पंजीकरण के समय अलग से किया जाएगा । यदि कैम्पस के छात्रावास मे ठहरना चाहते हैं तो इसके लिए अनुरोध संयुक्त निदेशक (प्रशासन) नासिन को ई-मेल nacengangotri@gmail.com पर भेजा जाए ।

- यदि प्रतिभागी किसी होटल में ठहरने के इच्छुक हों तो उपलब्ध विकल्प इस प्रकार हैं; होटल गोल्ड फिन्च (दूरभाष सं. 9560795251), होटल वाईब बाई द ललित ट्रैवलर (फोन नं० 0129 4290000) एवं 'के' (К) होटल, सेक्टर 31, फरीदाबाद (दूरभाष सं. 0129-4292777, एक्सटेंशन-101, मोबाइल-8527999752, 8527999757), प्रतिभागी आवास हेतु उपरोक्त नम्बरों पर सम्पर्क कर सकते हैं।
- नामांकित अधिकारियों को कृपया प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में भाग लेने हेतु अनिवार्य रुप से दिनांक 07/12/2017 को प्रात: 09.30 बजे सैक्टर-29, नजदीक पुलिस लाईन, फरीदाबाद स्थित अकादमी पर रिपोर्ट करने हेतु निर्देशित किया जाए। नजदीकी मैट्रो स्टेशन वॉयलेट लाईन पर सैक्टर -28 है। चूँकि समापन/विदाई समारोह दिनांक 08/12/2017 को सॉंय 6.00 बजे तक जारी रह सकता है अत: अधिकारियों को अपनी वापसी की यात्रा को तदनुसार ही तय करने हेतु सलाह दी जाए।

(सीफिया एम. जॉय) अपर निदेशक

सेवा में,

- 1. मुख्य आयुक्त, सीमा शुल्क (सभी)।
- 2. मुख्य आयुक्त, सीजीएसटी एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (सभी)।
- 3. महानिदेशक (सीबीआईसी के अधीन सभी महानिदेशालय)।
- 4. मुख्य विभागीय प्रतिनिधि, सेसटेट, नई दिल्ली।
- 5. सभी सीमा शुल्क आयुक्त ।
- सभी सीजीएसटी एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त ।
- 7. सभी लेखापरीक्षा आयुक्तालयों के आयुक्त।
- 8. सीबीईसी एवं नासेन बेवसाईट।